

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

विषय


दिनांक

विवरण

03/5/18

पतापत्री जेव्हा दुई वकील प्रार्थी उपस्थित
 वकील प्रार्थी कोर्टात प्रार्थना करून अर्चाई
 विवेचना पर सुनी गई।
 कोर्टने अर्चाई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना कर
 अर्चाई-विवेचना के अंतर्गत तथ्यो को
 कोर्टने हुए कथन किया कि ना कोर्टने
 वाद अर्थात् को अर्चाई - विवेचना
 के प्रार्थना परमाणा जेव्हा कि वादगुरुता
 प्रार्थी को कोर्टने एक राजस्व रिकार्ड को
 यथा स्थिति देनाये रहे।

हमने अर्चाई वकील प्रार्थी पर मनम
 किया पतापत्री के अंतर्गत दरतावे जात
 वा अर्थात् कोर्टने पर प्रार्थी का प्रार्थना
 पर अर्चाई विवेचना स्वीकृत किया जलई
 दिनांक 10-3-17 को जारी कोर्टने
 अर्चाई विवेचना कोर्टने मूल वाद
 के अंतर्गत एक कथन किया जात
 है पतापत्री को अर्थात् को है,
 मूल वाद के अंतर्गत रहे।


 उप-मण्डल अधिकारी
 जयपुर (दिलीप)